महिला शिक्षा एवं इसका प्रभाव :
नागौर जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

WOMEN EDUCATION AND ITS IMPACT:
A SOCIOLOGICAL STUDY OF NAGOUR DISTRICT

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर को पी.एच.डी.उपाधि

हेतु शोध–प्रारूप

कला संकाय

शोध निर्देशक
डॉ.प्रताप पिंजानी
विभागाध्यक्ष,समाजशास्त्र विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय
अजमेर।

शोधार्थी
परमाराम मेहरा

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर
2016

APPENDIX-IV

MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

Format for Outline of Proposed Research work

(to be supplied in six copies)

1. Name of Scholar (In English) : Parma Ram Mehra

   (In Hindi) : परमाराम मेहरा

2. Title of the Research Work

   (In English) : **WOMEN EDUCATION AND ITS IMPACT: A SOCIOLOGICAL STUDY OF NAGOUR DISTRICT**

   (In Hindi) : महिला शिक्षा एवं इसका प्रभाव :नागौर जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

3. Location

   a. Institution/Department where the work is to be done.

      सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। समाजशास्त्र विभाग

   b. Geographical area of Investigation, if any.

      नागौर जिले की तहसीलें

4. Introduction Importance of Proposed Investigation, Objectives.
5. Review (Work already done on the subject of proposed Research Study.)
6. Research Gaps identified in the proposed filed of investigation. (Based on the reviews)
7. Major Hypothesis, If any.
8. Research Methodology.
9. List of references cited.

Parma Ram Mehra
9/9/16

Signature of the Candidate with date

Outline Approved

Name and Signature of the Supervisor with date & Seal.

4.1 प्रस्तावना

यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है। हाल के वर्षो में तीव्र आर्थिक विकास के पश्चात भी महिलाओं के समक्ष चुनौतियों का विशाल पर्वत है।

अशिक्षा नये विचारों व मान्यताओं को समाज में प्रतिस्थापित होने से रोकती है, जिससे रूढ़ियां अपनी जड़ों को और गहराई से जमाने में समर्थ हो जाती है। अतः ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जो परम्परावादी सोच को परिवर्तित करके स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए संजीवनी का कार्य कर सकता है। देश की नारी शिक्षा संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों में स्त्रियों को पुरूषों के साथ पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों का पालन करना पड़ता है। अतः उनकी शिक्षा की अवहेलना करना समाज की भावी पीढ़ी के साथ अन्याय करना है। महिला समाज का आधार है उन्हें शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करना है।

महिला शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। बालक की प्रारम्भिक पाठशाला घर है और माता ही उसकी प्रथम शिक्षिका है। शिक्षित स्त्रियाँ न केवल परिवार की उन्नति करती हैं बल्कि समाज को भी सुसंस्कृत और उन्नतिशील बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। महिलाओं का निम्न स्तर उन्हें विकास की कम सुविधायें उपलब्ध कराता है। तथा समाज को विकलांग बना देता है। परन्तु इसके पंचायत भी आज की भारतीय नारी अपनी एक पृथक पहचान बनाने में सफल हो पायी है। वह शिक्षा के क्षेत्र में जागरुक हो रही है। इस कार्य के लिए उसने वर्षो परिश्रम किया है तथा आज वह इस पड़ाव पर है कि प्रत्येक क्षेत्र में उसे पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

यह सब स्थिति महिला शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों का ही प्रतिफल है। इससे स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षा की प्रगति इस समाज व राष्ट्र के लिए आवश्यक है। आज महिलाओं की प्रगति के लिए हमारी सरकार पर्याप्त ध्यान दे

रही है। तथा प्रयास भी कर रही है। आज की स्त्रियां देश का भाग्य लिखने में सक्षम होने का भरपूर प्रयास कर रही है। आज नारी नव चेतना जागृति की भावना से ओत–प्रोत है।

शिक्षा ने नारी को अवला से सवला वनाने का कार्य किया है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्म विश्वास के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा वढ़ाकर 50 फीसदी करने के प्रस्ताव को हरी झण्डी दे दी है। वर्तमान में देश के विहार, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश मे महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है। प्रस्तावित संशोधन के पश्चात यह व्यवस्था सम्पूर्ण देश में लागू हो जायेगी किन्तु नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, असम के आदिवासी वहुल क्षेत्र तथा त्रिपुरा और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र इस संशोधन में आच्छादित नहीं होंगे। वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलता है। इससे महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुयी है व उनका जीवन स्तर सुधर रहा है व भविष्य में इस प्रवृत्ति के बढ़ने के पूरे आसार है।

महिला शिक्षा का विकास : एक विवेचन

वैदिक कालीन शिक्षाः इस काल में महिला अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल होती थी और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ सम्पन्न होते थे यह सब जानकारी अर्थवेद से मिलती है। वैदिक मंत्र में उल्लेख है कि पत्नी को यज्ञ में बोलने के लिए एक कुशल वक्ता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन में बेटा–बेटियों द्वारा शामिल होकर 'उपनयन' संस्कार करने के उल्लेख से शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है जब उन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहकर पुकारा जाता था। इस काल में महिलाएं ललितकलाओं में प्रवीण होती थी तथा शारीरिक शिक्षा जैसे योग अभ्यास, प्राणयाम आदि महिलाओं के दैनिक जीवन का एक भाग थी। इस प्रकार से मालूम चलता है कि इस काल में महिलाओं व पुरूषों की स्थिति लगभग समान थी। महाकाव्य कालीन महिला शिक्षाः इस काल में साहित्यिक और ललितकला संबंधी शिक्षा का प्रचलन था। वाल्मीकि के अनुसार, अत्रेयी और लव–कुश साथ–2 आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। लव–कुश धनुर्विद्या व वेदान्त का अध्ययन करते थे तथापि अत्रेयी वेदान्त का ही अध्ययन

करती थी। इस तरह का प्रचलन आज की 'सहशिक्षा' कहलाता है। लेकिन इस प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था कम थी। पौराणिक काल में छोटी आयु में शादी हो जाने से शिक्षा ग्रहण करने का समय समाप्त ही हो जाता था तब महिला को पढ़ाई से दूर रहना पड़ता था।

बौद्धकालीन महिला शिक्षाः इस काल में महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। महिला पुरूषों के समान ही मठों अथवा विहारों में गणित, न्याय'शास्त्र, साहित्य, दर्शन'शास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों की पढ़ाई करती थी। वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार से बुद्ध तथा उनके अनुयायियों ने महिला को संघ की सदस्या बनाकर महिला शिक्षा के दरवाजें खोल दिए थे। वे 'भिक्षुणी' हो सकती थी तथा महिला वर्ग के उत्थान के लिए अध्यात्म एवं नैतिक शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार कर सकती थी। इस प्रकार गृहस्थ जीवन को ठीक ढंग से चलाने के लिए नियम तथा व्यवहारिक पक्ष के विभिन्न पहलु गृहणियों को बताए जाते थे।

मध्यकालीन महिला शिक्षाः इस काल में महिला शिक्षा का पतन होना शुरू हो गया था। इससे समाज में अनेक बुराइयों का जन्म हुआ। बाहरी आक्रमणों के कारण तथा आंतरिक शत्रुता से महिलाओं को सुरक्षित रख पाना कठिन हो गया था। अतएव, छोटी आयु में ही बाल विवाह हो जाते थे। कम उम्र में ही लड़कियाँ विधवा हो जाती थी और पुनर्विवाह अथवा विधवा विवाह न होने से पति के साथ सती हो जाया करती थी। ये बुराइयां भारतीय समाज में उन्नीसवीं सदी तक यथावत् प्रचालित रही। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा के विाय में सोचना एक स्वपन ही कहा जा सकता है। इस काल में थोडी बहुत धार्मिक शिक्षा भी वह केवल परिवार विशेष की चारदीवारी तक ही सीमित थी। इस काल में हिंदू बच्चे पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते थे जबकि मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते थे।

ब्रिटिश काल में महिला शिक्षाः

इस काल में इसाई मिशनरियों ने 1717 में मद्रास में क्रिश्चियन कालेज की शुरूआत की। सन् 1817 में राजा राम मोहनराय ने हिन्दूधर्म के अध्ययन के लिए हिन्दू कालेज की स्थापना कलकत्ता शहर में की जबकि इसके अगले ही साल वहा एक बिशप ने एक अलग संस्था शुरू की। उधर मुम्बई में पहले विलसन कॉलेज की

नींव पडी और इसके बाद सन् 1834 में एल्फिंस्टन द्वारा एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई। सन् 1840 में मिशनरी मिसेज निचेल ने पूना में नार्मल स्कूल की स्थापना की। एक भारतीय महात्मा जोतीराव फुले ने लार्ड डलहौजी के समय में जनवरी 1948 में पूना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। सावित्री बाई फुले जो महात्मा जोती बा फुले की पत्नी थी पहली भारत की अध्यापिका बनी जिन्होंने अपने पति की सहायता से सन् 1948 में पूना शहर के ईर्द–गिर्द लगभग 18 विद्यालयों की शुरूआत की। सावित्री बाई फुले के प्रयास से दलित लड़के–लडकियों के लिए 15 मई 1848 में पहले विद्यालय की नीवं रखी – साथ जो कॉलेज मसलीपट्टम तथा नागपुर में खुले उनका ध्येय भी बाइबिल की शिक्षा देना रहा था। परन्तु मिशनरियों की शिक्षा लड़की और लड़के में प्रवेश देने में कोई भेदभाव नहीं करती थी। वर्ष 1854 में वुड का प्रेषित पत्र बहुत अधिक चर्चित था क्योंकि इसमें अन्य धाराओं में अतिरिक्त एक अन्य विशेष धारा जो कि महिला शिक्षा की बात करती है। कई आयोगो ने महिला शिक्षा संबंधी नियमों का भी उल्लेख किया है जैसे हंटर आयोग, राले आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। सजेंट शिक्षा योजना के तहत छः से चौदह वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात कही। वर्ष 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना जो विश्वविद्यालयों पर सरकार के कठोर नियंत्रण की बात करता है। इसी कारण से लार्ड कर्जन की भारतीय समाज में आलोचना की जाने लगी।

इसी वर्ष 1904 में दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विद्यालय की शुरूआत की जो 1917 में हाई स्कूल बना और 1924 में इसने कालेज का रूप धारण कर लिया। यह लड़कियों के लिए खुला पहला विद्यालय था। र्वा 1938 में सह इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज अलीपुर में स्थानांतरण हो गया। आजादी प्राप्त करने में इस कालेज का योगदान अविस्मरणीय है। वर्ष 1906 और 1912 में दिल्ली में लड़कियों के लिए कई विद्यालय खोले गए जिनमें कुछ इस प्रकार है – सरस्वती गर्ल्स स्कूल, लक्ष्मी कन्या पाठशाला, आर्य समाज गर्ल्स स्कूल, इत्यादि।

मुस्लिम महिला शिक्षाः

शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वर्ष 1906 में मुस्लिम महिलाओं के लिए भारत का पहला अंग्रेजी विद्यालय खोला था। वर्ष 1920 के आसपास लखनऊ में मुस्लिम बालिका हाई स्कूल की स्थापना जस्टिस करामत हुसैन के द्वारा की गई जो बाद में कॉलेज में तब्दील हो गया। इन्हीं के प्रयत्नों से क्रोस बैथ कॉलेज की इलाहाबाद में स्थापना की। बशीर अहमद सईद तथा उनकी पत्नी के प्रयासों से मद्रास में एक महिला कॉलेज खोला गया। अलीगढ़ का मुस्लिम महिला कॉलेज आज भी अपना बहुत महत्व रखता है।

महिला शिक्षा का विकासः

वर्ष 1917 में बेसिक शिक्षा के स्वरूप को वार्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत विकास किया गया जिसके अध्यक्ष बापू महात्मा गांधी जी रहे थे। र्वा 1949 की राधाकृष्णन रिपोर्ट में सेकेंडरी विद्यालयों तथा कॉलेजों में सहशिक्षा लागू करने की सिफारिश की गई थी। इतना ही नहीं लड़कियों के लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं खोली गई जैसे – लेड़ी इरविन, लेडी हार्डिग आदि। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी ने भी महिला शिक्षा के समर्थक थे जिनके प्रयास से 'जनशिक्षा समाज' की स्थापना की। इसके साथ ही बम्बई तथा औरंगाबाद में कॉलेजों की नींव डाली। इस प्रकार के विवेचन से पता चलता है कि अनेक शिक्षण संस्थाओं का निरन्तर जन्म हुआ और इससे महिला शिक्षा के दरवाजे खुलते चले गए।

महिलाओं की वर्तमान विकासात्मक स्थिति

नई सदी की करवट में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति समाज व सरकार की सोच तथा नीतियों में जिस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह यही इंगित करता है कि हमने समानता की बात को वास्तविक रूप देने में सकारात्मक सक्रियता दिखायी है। बात चाहे कन्या भ्रूण हत्या की हो अथवा घरेलू हिंसा की, यह प्रयास चल रहा है कि यह सब जड़ से समाप्त हो सके। परिवार में बालिकाओं को बालकों की तुलना में कम महत्व देने की विचारधारा परिवर्तित होती जा रही है। चाहे शिक्षा की बात हो या संतुलित भोजन की, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो या

विवाह की, आज जो उमंग इनकी आंखों में दिखायी पड़ती है जो आत्मविश्वास इनके मुखड़ों पर परिलक्षित होता है वह अचानक से नहीं आया है, इसके लिए संघर्ष के कई पृष्ठ लिखे गये हैं।

सबसे बड़ा परिवर्तन इस दिशा में परिलक्षित हो रहा है कि बेटियों का जन्म अभिशाप की श्रेणी से बाहर आ रहा है। बालिका शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है।सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि प्रगति और विकास के मार्ग पर बालक व बालिका समान रूप से सहभागी है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2005 में जिन कार्यो व नीतियों को रखा गया था, उनको पूरी प्राथमिकता दी जायेगी। इसमें इस बात को विशेष महत्व दिया जायेगा कि सभी बालिकाओं को जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार मिले, परिवार व समाज में सम्मान व सुरक्षा मिले और उनके समानता के अधिकार व सामाजिक न्याय में बाधा न आये।

शिक्षा के अतिरिक्त जो समस्या सबसे अधिक चिन्ता जाग्रत करती है, वह है बाल–विवाह की। कम आयु वर्ग में बालिकाओं के विवाह को भी पुरातन व रूढ़िवादी परम्परा मान कर नकारा जाने लगा है। बालिकाओं की शिक्षा, उनका व्यक्तिगत मत, उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य के प्रति दिख रहे अभिभावकों के व्यवहार से यह आस बंध रही है कि इस बुराई के दिन बहुत ही कम रह गये है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भले ही इसका प्रतिशत 50 से ऊपर है, किन्तु वह लगातार कम हो रहा है।

महिलाओं की आधुनिक छवि

आज महिलाओं ने समाज में अपने प्रगतिशील प्रयासों से एक सुदृढ़ व सशक्त छवि निर्मित की है। सोनिया गांधी, सुशमा स्वराज, मीरा कुमार, वृंदा करात, ममता बनर्जी, मायावती, शैलजा कुमारी, मेनका गांधी, मेधा पाटेकर, अरुणा राय, इला भट्ट तथा बहुत से ऐसे नाम है। ये सभी वो महिलायें हैं जो इस समय देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पुराने समय की वह भारतीय महिला जो सिर पर पल्लू ढके, पल्लू का एक छोर अपनी उंगलियों से पलटती, पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदती थी, अब किसी की आदर्श नहीं रही। गांव–गांव तक कोई अपनी बेटी को

इतनी निसहाय नहीं बनाना चाहता, यह बात और है कि वे परम्पराओं को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। आज की बालिका आत्म विश्वास से भरी है उसकी चाल–ढ़ाल, उसके कपड़े, उसकी बात करने की शैली, उसका बिंदासपन, सब कुछ उस महिला छवि से बिल्कुल भिन्न है जिसे अब तक आदर्श भारतीय नारी की छवि के रूप में देखा जाता रहा है।

समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि अब बेटियों की भूमिका प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टर यानि रक्षित से रक्षक में परिवर्तित हो रही है। आज घर की बेटी पिता का दाहिना हाथ है, परिवार का आधार है, सामाजिक पहचान है और प्रतिष्ठा का मार्ग भी। अब बेटियां अभिशाप नही है, वह माथे पर पड़ी चिन्ता की लकीरें नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ–साथ आज महिलायें व्यवसाय में उत्तराधिकारी के रूप में दिखायी देने लगी है। अब पिता बेटों के साथ–साथ बेटियों को भी व्यावसायिक साम्राज्य का उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं और बेटियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व उचित ढंग से सम्भाल रही है।

महिलाओं के इस अद्वितीय साहस व उनके इस योगदान पर विचार करने व इसकी सराहना करने के लिए यूं तो किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु महिलाओं की इस अतुलनीय छवि को विकसित व उसे सम्मान देने के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस पर महिला की जो छवि सम्मुख आती है वह है प्रेम, स्नेह व मातृत्व के साथ ही शक्ति सम्पन्न महिला की। यह दिन या यह अवसर यह स्मरण करने का भी है कि अन्ततः हमने कितने मील के पत्थर पार कर लिए तथा वर्तमान व भविष्य में हमें अपनी छवि को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। यह सब अनुभव करके वास्तव में हमारे भीतर एक गौरव व आत्मविश्वास का संचार होता है तथा उन सभी महिलाओं के प्रति एक सम्माननीय विचारधारा का प्रवाह होता है जो कि अद्‌भुत व अतुलनीय आत्मबल से भरी है। इक्कीसवीं सदी की महिला ने स्वयं की शक्ति का ज्ञान कर लिया है। उसने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ना सीख लिया है।

स्वतंत्रता के बाद अनेक शिक्षा अभियान चर्चा में है पिछले छह दशकों में सरकारें वह कार्य नहीं कर पाई है जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा संविधान लागू होने के दस वर्षों के अन्दर की गई थी यानि छः से चौदह वर्ष तक के हर बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की बात थी। सन् 1922 में महात्मा गांधी ने एक पत्र में भी लिखा था कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश के लोगों को खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि चुनाव की गड़बड़ियां, प्रशासन का बोझ, अन्याय और अमीरों का आंतक लोगों पर भारी पड़ेंगे। गांधी जी ने लिखा था कि आशा की एकमात्र किरण शिक्षा का प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना होगा। इसी के आधार पर लोगों को उनके अधिकार, मान–सम्मान और अच्छा जीवन मिल सकेगा। वर्तमान समय में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा लगभग 30 प्रतिशत बच्चों तक सीमित रह गई है और इस क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वे लोगों में विश्वास नहीं जगा पा रहे है।

'प्रथम' नाम की स्वयं सेवी संस्था शिक्षा व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी करती है इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार अभी भी केवल 62.2 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय है जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहली अप्रैल 2013 तक हर स्कूल में शौचालय बन जाने चाहिए थे। यद्यपि 40 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है, जबकि हर सरकारी दस्तावेज लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देने का श्रेय लेने का प्रयत्न करते रहते है। एक अखबार के अनुसार संयुक्त राट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत और नाइजीरिया की शिक्षा में गुणवत्तापरक सुधार करके और इस शिक्षा को महिलाओं तक पहुंचा कर लाखों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में भारत में पाँच साल से कम उम्र के एक करोड़ 41 लाख बच्चे और नाइजीरिया में 83 लाख बच्चे मौत के मुँह में समा गए। यदि सभी महिलाएं प्राथमिक शिक्षा तक भी शिक्षित होती तो भारत में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों में 13 फीसदी तक की कमी की जा सकती थी और नाइजीरिया में बच्चों की मौत में और 11 प्रतिशत कमी हो जाती।

यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सभी महिलाओं ने सेकेंडरी स्तर की शिक्षा पूरी की होती तो भारत में इसमें 61 प्रतिशत की कमी और नाइजीरिया में 43 प्रतिशत की कमी हो सकती थी। और इसप्रकार से एक करोड़ 23 लाख बच्चों की

जान बच सकती थी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि शिक्षा से राजनीतिक व्यवहार में भी लैंगिक भेदभाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि यदि भारत में लैंगिक साक्षरता अंतर को 40 प्रतिशत कम किया जाता है तो इस बात की संभावना बढ़ सकती है कि राज्य विधानसभा चुनावों में 16 प्रतिशत महिलाएं खड़ी होगीं और वे 13 प्रतिशत मत हासिल कर सकेंगी। भारत के संपन्न राज्यों में से एक केरल में प्रतिव्यक्ति शिक्षा का खर्च लगभग 685 डॉलर का था। ग्रामीण भारत में अमीर और गरीब राज्यों के बीच भारी असमानता है। लेकिन अमीर राज्यों में भी गरीब लड़कियों की स्थिति बेहद खराब है।

राट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिाद (एन.सी.आर.टी.) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकों में हालांकि लैंगिक समानता पर ध्यान दिया गया है लेकिन कई स्थानों पर सामाजिक रूढ़ियों की झलक मिलती है। एन.सी.आर.टी. की ओर से पाठ्यपुस्तकों की लैंगिक आधार पर कराई गई समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि कई पुस्तकों में पुरूषों को अधिक महत्वपूर्ण पदों व जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करते दिखाया गया है कि जबकि महिलाओं को खाना पकाने, घरेलू कार्यों, नर्स, डाक्टर जैसे जिम्मेदारी उठाते दिखाया गया है। दूसरी ओर पुरूषों को पुलिस, कलाकार, वैज्ञानिक, खगोलविंद, ड्राइवर, शासक, फल व सब्जी विक्रेता, एथलीट, शिक्षाविद, संगीतकार जैसी पेशेवर भूमिका में दिखाया गया है। कई स्थानों पर पुस्तकों में पुलिस कार्य करने वालों को 'पुलिसमैन' या दूध बेचने वाले को 'मिल्कमैन' के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसे विचार सामने आए है कि इन्हें 'पुलिस पर्सन' या 'मिल्क पर्सन' के रूप में संबोधित किया जाए। एन.सी.आर.टी. की कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में महिलाओं को पानी भरते और अभ्यास कार्य में इन्हें घरेलू काम करते दिखाया गया है। 'पंतग' शीर्षक से एक कविता में केवल लड़कों को पंतग उड़ाते दिखाया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत देश के विभिन्न प्रदेशों में शिक्षकों के 19.84 लाख खाली पदों को भरने के लक्ष्य में से पिछले साल सितंबर तक 14.34 लाख पदों को ही भरा जा सका यानी करीब साढ़े पांच लाख शिक्षकों के पदों को अभी भरा जाना है। हाल में संसद की स्थायी समिति ने सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण

प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के मार्ग में शिक्षकों की कमी के आड़े आने पर गंभीर चिंता जताई है। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया गया है।

नागौर जिले का सामान्य परिचय

भौगोलिक स्थिति

नागौर राजस्थान राज्य के मध्य भू–भाग में मरू क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला जिला मुख्यालय है। नागौर जिला $26^0 25'$ तथा $27^0 40'$ उत्तरी अक्षांश तथा $73^0 18'$ व $75^0 15'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राजस्थान में अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण इसकी सीमाएं राज्य की अन्य जिलों की सीमाओं से लगी हुयी है। उत्तर में यह चूरू व बीकानेर जिले से, पूर्व में सीकर व जयपुर से, दक्षिण में अजमेर व पाली जिले से तथा पश्चिम में जोधपुर जिले से घिरा हुआ है। नगर की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 281.09 मीटर है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से 262 किलोमीटर एव सम्भागीय मुख्यालय अजमेर से 151 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–89 व 65 पर स्थित है। यह नगर जोधपुर, अजमेर व जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है। इस नगर से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, दिल्ली व मुम्बई की ओर जाने के लिए शहरवासियों को रेल सेवा उपलब्ध है।

नागौर की जलवायु शुष्क एवं मरूस्थलीय है जिसमे कम वर्षा एवं अधिक तापमान का प्रभाव रहता है। यहां की औसत वर्षा 310 मिलीमीटर है परन्तु वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। मरूस्थलीय स्थिति के अनुरूप ही यहां पर तापमान मे भिन्नता पायी जाती है। ग्रीष्मकाल के महीने में औसत तापमान 40 से 28 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं शीतकाल का औसत तापमान 22.5 से 6.7 डिग्री सेन्टीग्रेट रहता है। कभी–कभी रात्रि में तापमान शून्य के करीब चला जाता है। आद्रता का प्रतिशत 60 प्रतिशत के करीब पाया जाता है। है। ग्रीष्मकाल में यहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिनका वेग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहता हैं। नागौर में मुख्यतः पश्चिम एवम् दक्षिण–पश्चिम से हवाएं चलती हैं।

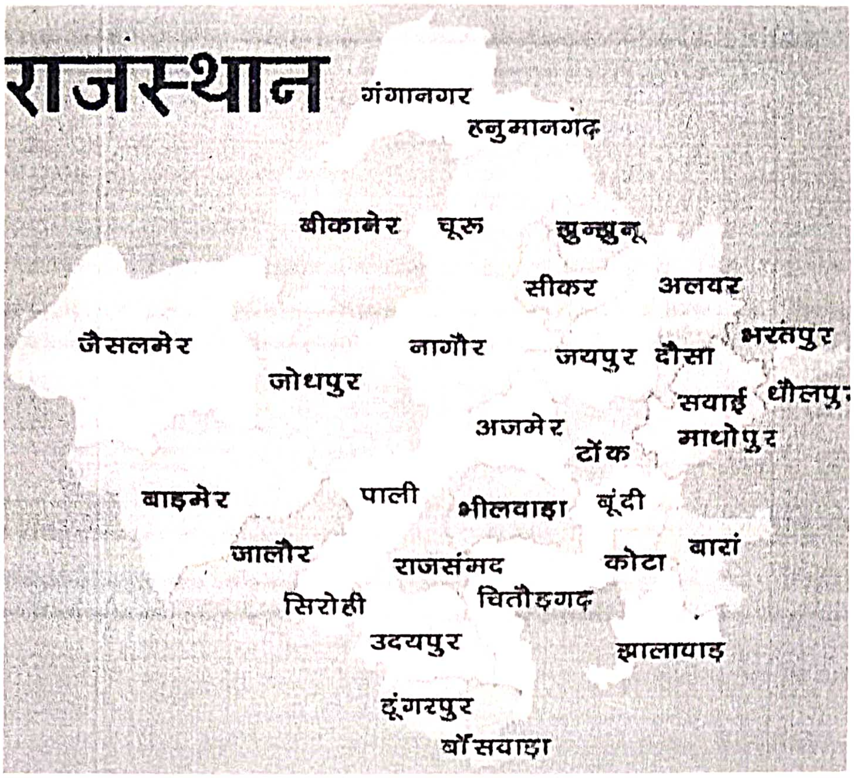

नागौर जिले में बाजरा, गेहूँ, ज्वार, तिल, जौ व दलहन प्रमुख फसलें हैं एवम् तारामीरा, चना व सरसों आदि की भी बुवाई की जाती हैं। नगर में पावर लूम्स तथा सीमेन्ट एवम् लोहे से निर्मित होने वाले उपकरणों के निर्माण की लघु व मध्यम इकाइयां स्थापित हुई हैं। नागौर जिले में जिप्सम के भण्डार हैं एवं मार्बल का पत्थर भी पाया जाता है। जिले के मकराना कस्बे में पाये जाने वाला मकराना मार्बल वि वभर में प्रख्यात है। इसके अलावा गोटन, मूण्डवा, काथोली एवम् आमलिया में लाईमस्टोन पत्थर के भण्डार स्थित है जो सीमेंट उत्पादन के काम भी आता है।

नगर के चारों ओर तालाब हैं। मुख्य तालाबों में ढुलिया तालाब, समस तालाब, प्रतापसागर व बख्तसागर प्रमुख है जिसमें वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है। इन्हीं तालाबों के कारण यहां का भू–जल स्तर ऊँचा रहता है जिससे कृषि उपज अच्छी मात्रा में होती है।

जिला आकार में अनियमित है तथा एक विकृत समानान्तर चतुर्भुज से मेल खाता है। जिले के पूर्वी व पश्चिमी भाग में दो दबे हुये त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष पड़ोसी जिले में प्रवेश करते हैं। स्थानाकृति सामान्य रूप से एक समान है। जिले का एक भाग मरूस्थल है क्योंकि जिले का उत्तरी–पश्चिमी भाग बड़े रेतीले टीलों से ढका रहता है जो कभी–कभी लगातार श्रेणियों के रूप में फैल जाता है। जिले का

सामान्य ढलान पश्चिम की ओर है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है जो दक्षिण में 250 से लेकर उत्तर में 640 मीटर के मध्य में है।

क्षैत्रफल :–

ग्रामीण	17448.72 वर्ग कि.मी.
शहरी	269.28 वर्ग कि.मी.
योग	17718.00 वर्ग कि.मी

जनसंख्या :–

क्रसं	वर्ष	पुरूष	महिला	योग	कमी/वृद्धि
1.	1981	831985	796684	1628669	29.04
2.	1991	1104576	1040234	2144810	31.69
3.	2001	1424967	1350091	2775058	29.38
4.	2011	1696325	1611418	3307743	19.25

जनसंख्या का घनत्व :–

क्र.सं.	वर्ष	घनत्व		
		ग्रामीण	शहरी	योग
1	1981	80	880	92
2	1991	103	1272	121
3	2001	132	1772	157
4	2011	154	1518	187

जनगणना 2011 के आंकड़ो के अनुसार जिले की स्थिति निम्न प्रकार है :–

1.	पुरूष	1696325
2.	स्त्री	1611418
3.	योग	3307743
4.	ग्रामीण	2670539
5.	शहरी	637204
6.	जनसंख्या घनत्व	187
7.	कुल साक्षर दर क – पुरूष ख – स्त्री	62.80 77.17 47.82
8	कुल जनसंख्या में नगरीय जन संख्या	637204
9	1000 पुरूष पर महिला	951
10	जनसंख्या की 10 वार्षिक वृद्धि पर (1991–2001)	19.2

ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.		2001			2011		
	तहसील	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	नागौर	278548	151011	429559	379369	105218	484587
2.	खींवसर	143799	0	143799	192924	40339	233263
3.	जायल	224944	0	224944	269024	0	269024
4.	मेड़ता	296729	40221	336950	342859	46070	388929
5.	डेगाना	256420	9838	266258	306103	0	306103
6.	डीडवाना	285031	44675	329706	343254	53749	397003
7.	लाडनूँ	158026	57070	215096	187367	65575	252942
8.	परबतसर	186413	13821	200234	210241	15172	225413
9.	मकराना	199671	91853	291524	251082	94487	345569
10.	नांवा	268146	68817	336963	320853	84057	404910

नारीवादियों के अनुसार जब तक महिलाओं को उच्च शिक्षा जो कि गुणवत्ता से भरपूर हो प्राप्त नहीं होगी तब तक पितृसत्तात्मक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ पाऐगा। इस प्रकार के समाज को एक शिक्षित महिला ही चुनौती दे सकती है – आज वर्तमान समय में महिला शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को सार्वजनिक नीति–निर्माण में भी उचित भागीदारी नहीं है। इस लैंगिक भेदभाव को केवल शिक्षा के माध्यम से जागृत किया जा सकता है – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार जो कि शिक्षा का अधिकार है के अंतर्गत राज्य 6 से 14 र्वा की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार से महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा तथा लिंग भेदभाव में कमी आएगी तथा महिलाएं सुरक्षित जीवन यापन कर सकेगी।

4.2 शोध र्शीषकः

महिला शिक्षा एवं इसका प्रभाव :नागौर जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

4.3 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

हमारे देश की महिला शिक्षा संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों में स्त्रियों को पुरुषों के साथ पारिवारिक,सामााजिक एवं आर्थिक जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। अतः उनकी शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती। महिला समाज का आधार है, उन्हें शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करना है। नेपोलियन ने कहा था–"मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा।"

पश्चिमी देशों के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि स्त्रियां ही शिशुओं को शिक्षा देने के लिए सर्वरूपेण उपयुक्त है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने महिला शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि महिला शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए क्योंकि विभिन्न परिस्थितियो के कारण उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। अतः स्त्रियों के लिए शिक्षा की ऐसी रूप–रेखा बनाई

जाय, जो उनके जीवन को सफल बनाने मे सहायक हो। यदि समाज का नव–निर्माण करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। राष्ट्रपति लिंकन ने कहा है–"मैं जो कुछ होने की आशा करता है उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। शिक्षित नारी ही अपने परिवार, समाज तथा देश के गौरव को ऊंचा उठाती है। अतः देश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। महिला शिक्षा का महत्व निम्नलिखित दृष्टि से अधिक है–

- **पारिवारिक दृष्टि से**

परिवार में मां का स्थान तथा महत्व सर्वोपरि है। बालक के व्यक्तित्व पर मां का अमिट प्रभाव पड़ता है। मां बालक के जीवन में प्रथम शिक्षक के रूप में आती है। शिक्षित महिला ही परिवार को सुखी बना सकती है।

- **आर्थिक दृष्टि से**

आज की परिवर्तित परिस्थितियों में भारतीय नारियों के कन्धों पर पुरुषों के समान ही भार आ पड़ा है। आज शिक्षित नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो या सांस्कृतिक हो, वह पुरुषों के समान सक्रिय हो उठी है। शिक्षित नारी परिवार और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होती है। आर्थिक कठिनाईयों का सामना करने के लिए उन्हें उपयोगी शिक्षा देना आवश्यक है।

- **सामाजिक दृष्टि से**

समाज की प्रगति में शिक्षित स्त्रियों का सहयोग आवश्यक है। परिवार के सीमित क्षेत्र से बाहर निकल कर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से प्रेरित होकर सम्पूर्ण समाज की प्रगति में वह सहायक हो सकती है। देश के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महिला शिक्षा को महत्व देना अनिवार्य है।

- **राजनैतिक दृष्टि से**

राष्ट्र की उन्नति के लिए स्त्री–शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। राष्ट्र को उन्नत और सफल बनाने के लिए स्त्रियों पर उतना ही दायित्व है जितना पुरुषों पर। प्रजातन्त्र की सफलता शिक्षित स्त्रियों पर निर्भर है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। अतः स्त्रियों को शिक्षित करना देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में महिला शिक्षा कितनी आवश्यक है। समाज के सभी पक्षों में तालमेल व उनके उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से निभाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। किन्तु राजस्थान में महिला शिक्षा के स्थिति, विशेष कर नागौर जिले में महिला शिक्षा की स्थिति को देखकर यह आवश्यकता अनुभूत की गई की नागौर जिले में महिला शिक्षा ने समाज के सभी क्षेत्रों को कितना प्रभावित किया है तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं के सहयोग कितना रहा है। यह ज्ञात करने के लिए हमें इस अध्ययन को करना आवश्यक है। इस अध्ययन के बाद हम समाज मे महिलाओं द्वारा किये गये सहयोग, सहभागिता की मात्रा को जान सकेंगे।

4.4 शोधकार्य के प्रमुख उद्देश्य :–

शोध का शाब्दिक अर्थ होता है। "खोज करना" अर्थात किसी तथ्य या विषय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। किसी विषय के सम्बन्ध में तथ्यों या आंकड़ों को खोजना। शोध अध्ययन सामान्यतः किसी समस्या के विषय से जुड़ा हुआ होता है। सामान्यतः शोध का सम्बन्ध किसी न किसी समस्या से होता है। किसी समस्या के कारणों व प्रभावों की खोज करना और इस समस्या का समाधान निकालना शोध का प्रमुख उद्देश्य होता है।

शोध का विषय किसी विषय का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन, समीक्षा, तुलना करना होता है। किसी समस्या या विषय का अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुँचना शोध का उद्देश्य होता है।

व्यापक अर्थ में शोध का उद्देश्य किसी भी विषय से सम्बन्धित तथ्यों व आंकड़ों व श्रोतों की खोज करना और इन आंकड़ों का समग्र तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना होता है। चयनित शोध कार्य के उद्देश्य इस प्रकार है :–

1. नागौर जिले में महिला शिक्षा की स्थिति,योगदान एवं भूमिका का अध्ययन करना।
2. नागौर जिले में महिला शिक्षा की समस्याओं व समाधान के सुझावों का अध्ययन करना।
3. नागौर जिले में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिला शिक्षा के योगदान का अध्ययन करना।
4. महिला शिक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण में योगदान का अध्ययन करना।
5. महिला शिक्षा द्वारा लैंगिक भेदभाव के निराकरण में योगदान का अध्ययन करना।

5.0 सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण से अनुसन्धान की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होती है। शोधकत्री को अनुसंधान के विषय क्षेत्र के वर्तमान ज्ञान की सीमा रेखा की जानकारी हो जाती है। पूर्व अनुसन्धानकर्ताओं द्वारा सुझायी गयी समस्याओं की जानकारी के साथ ही समस्या विशेष की परिसीमाओं को समझकर उसे सही दिशा मिलती है।

- वर्गेश (1977), ने शिक्षा और आधुनिकीकरण से सम्बन्धित अपने अध्ययन में पाया कि उच्च शैक्षिक स्तर से सम्बन्धित प्रत्यर्थियों में आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति उच्च स्तर की है, इनके अध्ययन में शिक्षा और आधुनिकीकरण के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

- तिवारी (1980), ने महिला शिक्षा के प्रति ग्रामीणों का दृष्टिकोण सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि महिलाओं की शिक्षा के विषय में ग्रामीणों का

दृष्टिकोण सकारात्मक था। 92.72 प्रतिशत शिक्षित ग्रामीणों का दृष्टिकोण सकारात्मक था तथा युवा पुरुष ग्रामीणों में वृद्ध पुरुष ग्रामीणों की अपेक्षा सकारात्मक दृष्टिकोण था। 52.94% अशिक्षित ग्रामीणों का महिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण था।

- फील्डमैन शैली (1984), द्वारा बंग्लादेश में औद्योगिक कार्यो में संलग्न महिलाओं में पर्दा प्रथा पर किये गये सर्वेक्षण अध्ययन से ज्ञात हुआ कि समय के परिवर्तन के साथ तथा औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप जागरूकता के कारण पर्दा मात्र एक विशेष मुस्लिम वर्ग तक ही सीमित रह गया है।

- झा (1985), व ग्लीसन (1987), ने आधुनिकीकरण के प्रति महिलाओं की अभिवृत्ति सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि कार्यरत महिलाओं में बौद्धिक तथा आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है तथा महिलाओं की आदतों, जीवन के तौर–तरीकों तथा शैली में परिवर्तन आया है। महिलाओं की बढ़ती हुयी साक्षरता और प्रतियोगिता कन्या शिशु की उत्तरजीविता को बढ़ाता है।

- अग्रवाल (1988), ने महाविद्यालयी छात्राओं के विवाह के सन्दर्भ में विचारों सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि विवाह तय करने की प्रक्रिया के प्रति छात्राओं के विचारों में कुछ स्तर तक आधुनिक परिवर्तन पाये गये हैं। विवाह के पश्चात कामकाजी होने की विचारधारा के संदर्भ में भी छात्राओं में आधुनिकता का पुट देखा गया। 78 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कम आयु में विवाह का विरोध करते हुए 22–25 वर्ष में विवाह को स्वीकृति दी। 66 प्रतिशत छात्राओं ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।

- तनवर (1987), तथा अचूथन (1989), नें महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर की महाविद्यालयी छात्राओं में वृत्तिक अभिविन्यास निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की छात्राओं की अपेक्षा अधिक है तथा

भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकांश महिलायें उच्च मध्यम वर्गी व शहरी पृष्ठभूमि तथा अंग्रेजी माध्यम व केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षित थी।

- गिलेस्पी तथा स्पोहन (1990), के अध्ययन के अनुसार युवा वर्ग राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं।

- मोहपात्र (1991), ने विवाह व परिवार के आकार के सम्बन्ध में शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं के विचारों के तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी विषय पर शोध कार्य किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलायें छोटे परिवार व विलम्ब से विवाह करने के प्रति अशिक्षित महिलाओं से अधिक जागरुक है। मात्र 24 प्रतिशत अशिक्षित महिलायें ही विलम्ब से विवाह करने की समर्थक हैं शेष बड़े परिवार की विचारधारा का समर्थन करती है।

- राजन (1993), ने भारत में महिला और आधुनिक व्यवसाय सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि अधिकांश कार्यरत महिलाओं के पिता परास्नातक, व्यावसायिक तकनीकि शिक्षा, चिकित्सा और अभियन्ता तथा उच्च प्रशासनिक सेवा में संलग्न थे। अध्ययन के अनुसार अभिभावकों की शिक्षा तथा महिलाओं के कार्यरत होने के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

- गिलेस (1993), ने इंग्लैण्ड की कामकाजी महिलाओं पर किये गये एक शोधकार्य में ज्ञात किया कि कामकाजी महिलायें, महिलाओं की परम्परावादी रूढ़िवादी भूमिका की तुलना में उन्हें आधुनिक भूमिका का अधिकार देने की पक्षधर है।

- रामाराव तथा सिन्हा (1993), ने महिला शिक्षा व उच्च शिक्षा में उनकी उपलब्धि सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर वालिकाओं का प्रदर्शन बालकों से श्रेष्ठ है तथा अपने उत्कृष्ठ प्रदर्शन के द्वारा वह राज्य के विकास में अपनी क्षमता दिखा रही है। उनके अध्ययन में विकसित राज्यों में बालिकाओं में वृत्तिक अभिविन्यास अधिक पाया गया है।

- नारायण रेवती (1993), ने अपने अध्ययन में पाया कि रत्नप्रभा घेरा पुरन्दर पंचायत की प्रधान कक्षा–7 तक पढ़ी है किन्तु उन्होंने शिक्षा के लिए अनेंक कार्य किये उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया, स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत करायी तथा कक्षा 1–12 तक का पब्लिक स्कूल भी चलाया।

- मिश्रा (1995), ने विभिन्न शैक्षिक स्तर की शिक्षिकाओं का महिला सम्बन्धी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी अध्ययन में पाया कि समाज में महापुरूषों के अथक योगदान से शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में विकास, परिवर्तन एवं परिमार्जन के पश्चात भी महिला सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं में कमी अवश्य आयी है किन्तु महिला शिक्षा का प्रबन्ध व प्रचलन बड़ी पुरानी समस्या है उनके लिए और भी विशेष अतिरिक्त बाधायें हैं।

- जैन (1996), ने जयपुर की मुस्लिम महिलाओं के आधुनिकीकरण के सन्दर्भ में कानूनी रूप से प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरुकता के अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि वैवाहिक कानून के प्रति मुस्लिम महिलायें कम जागरुक है तथा उन्होंने स्वीकार किया कि परिवार के सन्दर्भित अन्तिम निर्णय पति द्वारा ही लिए जाते हैं इसके विपरीत अपनी पुत्रियों को विद्यालय भेजने का समर्थन करते हुए उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरुकता का प्रदर्शन किया।

- मनथोटो (1996), ने अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के वर्तमान स्तर के विषय में उनकी अभिवृत्ति व विचारों से सम्बन्धित अपने अध्ययन में पाया कि महिलायें समाज में अपनी स्थिति के विषय में जागरुक है, वह पुरुषों के वर्चस्व को कम करना चाहती है तथा वह स्वयं के कानूनी अधिकारों के विषय में अधिकाधिक ज्ञानार्जन करने की आकांक्षा रखती है तथा स्वयं के विकास के प्रति विचारबद्ध है।

- डेविड (1998), ने उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर की कामकाजी एवं अकामकाजी माताओं की किशोर बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि कार्यरत माताओं की किशोर बालिकाओं की

उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अकार्यरत माताओं की किशोर बालिकाओं की अपेक्षा निश्चित रूप से श्रेष्ठ है।

- उपाध्याय (2000), ने विश्वविद्यालय प्राध्यापकों में महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि महिला अध्यापक पुरुष अध्यापकों की तुलना में महिला अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक हैं। युवा अधापकों में प्रौढ अध्यापकों के प्रति अधिक जागरुकता हैं। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत अध्यापक महिला अध्यापकों के प्रति अधिकतम जागरुक हैं। तथा 50 अध्यापक महिला अधिकारों के प्रति औसत रुप से जागरुक हैं।

- कुमारी (2006), में अपने अध्ययन में पाया कि युवा आयु समूह की महिलायें शैक्षिक, सामाजिक ,आर्थिक ,राजनीतिक कियाकलापों में अधिक रुचि रखती हैं वे इन क्षेत्रों से सम्बन्धित ज्ञान को अर्जित करने में अधिक से अधिक समय देने में उत्साहित रहती हैं जब कि व्रद्ब महिलायें इनके प्रति उदासीन रहती हैं!

- सिंह, रजनी रंजन (2007), ने अपने अध्ययन में पाया कि आत्मनिर्भर महिलायें परिवार व समाज को विकासशील बना सकती है इसलिए हमें उनको आत्मनिर्भरता व योग्यता बढ़ाने का अवसर देना चाहिए।

- पाठक, इन्दु (2007), ने अपने आलेख में स्पष्ट किया है कि घर के बाहर कार्य करने की स्थिति में घर, परिवार व कार्यक्षेत्र के दोहरे व्यक्तित्व का निर्वाह करने की बाध्यता महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता गतिविधियों को सीमित कर देती है तथा निश्चित लैंगिक भूमिकाओं को निर्वाह हेतु महिलाओं का समाजीकरण तथा प्रजनन कार्य व शिशु पालन पोषण का एकांगी दायित्व भी महिला सहभागिता को विभिन्न क्षेत्रों में सीमित कर देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनों के बारे में जानकारी बहुत कम है।

- सिंह, मधुरिमा (2012) ने शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की जनसंख्या विस्फोट के प्रति अभिव्रत्ति की तुलना सम्बन्धी अध्ययन किया । जिसमें पाया कि शिक्षित महिलायें जनसंख्या विस्फोट के प्रति जागरुक है। शहरी शिक्षित और ग्रामीण शिक्षित महिलाओं में अन्तर नहीं पाया गया और इसी प्रकार शहरी अशिक्षित और ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं में भी इसके प्रति सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। स्पष्ट है शिक्षित महिलाओं की शिक्षा उनकी अभिव्रत्ति को धनात्मक रुप से प्रभावित करती है।

- गुप्ता, विनीता (2012), ने विवाहित कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका का परिवार एवं व्यवसाय पर प्रभाव सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि व्यवसाय के आधार पर सभी महिलाओं का कार्य समय अलग अलग है। कार्यरत महिलाओं का उनके परिवार के सदस्यों के साथ सम्बन्धों का अध्ययन करने पर पाया कि 58 प्रतिशत महिलाओं के सम्बन्ध सन्तोषजनक है,12 प्रतिशत असन्तोषजनक है तथा18 प्रतिशत तनावपूर्ण है।

- रावल, म्रदुला तथा दीक्षित, सीता त्रिपाठी (2014), ने कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन में तुलना सम्बन्धी अपने अध्ययन में पाया कि कला वर्ग के विद्यार्थी, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा कम समायोजित होते हैं तथा वे जीवन की समस्याओं का स्थिरता से सामना करने में असमर्थ पाये जाते हैं।

6. शोध न्यूनता

महिला शिक्षा व समाज में उनकी सहभागिता से सम्बन्धित अध्ययनों की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि इन अध्ययनों में महिला शिक्षा की उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है चाहे वह विकासशीलता के संदर्भ में हो, सामाजिक जागरुकता के सन्दर्भ में हो, राजनैतिक सहभागिता के सन्दर्भ में हो, या पारिवारिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में हो। समीक्षा से ज्ञात होता है कि शिक्षा महिलाओं को सोचने, विचारने व करने की नई दिशा दिखाती है, राजनीतिक सहभागिता के

अन्तर्गत शिक्षित महिलाओं ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय भी चलाया। सभी अध्ययनों में उपर्युक्त सभी क्षेत्रों मे महिलाओं की शिक्षा द्वारा होने वाले योगदान के विषय में बताया गया है। परन्तु वर्तमान समय में नागौर जिले में इन सभी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के कारण क्या प्रभाव पड़ा है? ऐसा कोई भी शोध अध्ययन शोधार्थी की दृष्टि में नहीं आया जिसमें सभी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की प्रभावशीलता दृष्टिगोचर होती हों। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध शीर्षक का चयन किया गया है तथा प्रस्तुत शोध, शोध क्षेत्र के इसी न्यूनता को पूर्ण करने का एक प्रयास हैं।

7. शोध की परिकल्पनाएँ

प्रस्तावित शोध की परिकल्पना है :–

1. नागौर जिले में महिला शिक्षा के कारण महिलाओं की समाज में भूमिका में वृद्धि हुई है।
2. नागौर जिले में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिला शिक्षा का योगदान में वृद्धि हुई है।
3. महिला शिक्षा से महिला सशक्तिकरण की वृद्धि हुई है।
4. महिला शिक्षा द्वारा लैंगिक भेदभाव के निराकरण में वृद्धि हुई है।

8.1 शोध विधि

शोधकर्ता अनुसंधान के अन्तर्गत गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार की शोध विधियों का प्रयोग करेगा। गुड, बर्र व स्केट्स, 1941 के अनुसार शोध विधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती है यथा ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि तथा वर्णनात्मक विधि।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आलोचनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाएगा। मात्रात्मक अध्ययन तथा गुणात्मक अध्ययन के लिए व्यष्टि अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाएगा।

8.2 निदर्शन विधि

न्यादर्श अथवा प्रतिदर्श एक समष्टि का वह अंश होता है जिसमें अपनी समष्टि की सभी विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब होता है। प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के लिए 300 महिलाओं का चयन **दैव निदर्शन की लॉटरी विधि** द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए 10 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से 30 महिलाओं काचयन किया जाएगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में गुणात्मक अध्ययन के लिए व्यष्टि अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाएगा। नागौर जिलें में कार्यरत एनजीओं तथा सामाजिक संस्थाओं की केस स्टडी भी की जाएगी।

8.3 उपकरण

किसी समस्या के अध्ययन हेतु नवीन तथा अज्ञात प्रदत्त संकलित करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक सफल अनुसंधान के लिए प्रयुक्त उपकरणों के चयन का अत्यधिक महत्व होता है तथा विभिन्न प्रकार की सूचना संकलित करने तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में भिन्न प्रकार के उपकरण प्रयुक्त होते हैं।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों में महिला शिक्षा के योगदान का अध्ययन करने के लिये स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया जाएगा।
- व्यष्टि अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग जाएगा।
- साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा।

8.4 शोध की परिसीमाएं

शोध अध्ययन को संगठित व सुचारू रूप से पूरा करने हेतु शोध का परिसीमन व क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। शोध का परिसीमन शोधकर्ता को सही दिशा में व्यावाहारिक तथ्यों को उजागर करने में सहायता करता है।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन नागौर जिलें तक ही सीमित रखा जाएगा।
- प्रस्तुत शोध बालिकाओं व महिलाओं तक ही सीमित रखा जाएगा।
- प्रस्तुत शोध हेतु शिक्षित स्नातक बालिकाओं व महिलाओं को लिया जाएगा।

8.5 प्रदत्त विशलेषण में प्रयुक्त संख्यिकी विधियाँ

प्रदत्त विश्लेषण हेतु सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग विस्तारित प्रदत्तों को कुछ संख्यात्मक मूल्यों में परिवर्तित करने के लिये किया जाता है। जिससे कि प्रमाणित निष्कर्ष निकालना संभव हो सके।

प्रस्तुत अध्ययन में मात्रात्मक विधि से अध्ययन के लिये सर्वेक्षण किया जाएगा। तथा उससे प्रदत्त संकलित किये जायेंगे। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिये आवश्यक सांख्यिकी तकनीकों द्वारा गणना की जाएगी और परिणाम प्राप्त किये जायेंगे।

8.6 शोध का अध्यायवार विवरण

अध्याय प्रथम : परिचयात्मक, महिला शिक्षा का विकास, स्थिति, प्रभाव आदि का अध्ययन।

अध्याय द्वितीय : शोध विधि, उद्देश्य, परिकल्पना, परिसीमन, सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन, न्यादर्श, उपकरण आदि।

अध्याय तृतीय :नागौर जिले का सामान्य वर्णन, नागौर जिले की महिलाओं के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिला शिक्षा के योगदान का अध्ययन।

अध्याय चतुर्थ : नागौर जिले में लैंगिक भेदभाव की स्थिति एवं महिला शिक्षा के योगदान का अध्ययन।

अध्याय पंचम : ऑकडों का विश्लेषण, अर्थापन, व्याख्या एवं निष्कर्ष

अध्याय षष्ट्म : सारांश, तथा सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, कुन्तन (1988), चेन्जिंग व्यूज आन मैरिज, ए स्टडी ऑफ कालेज, गोइंग गर्ल्स इन अरबन इण्डिया, न्यू एकेडमिक पब्लिशर्स, उद्धृत धर्मवीर तथा कमलेश महाजन, कन्टम्प्रेरी इण्डियन वोमेन कलेक्टेड वर्क्स, 111 नई दिल्ली, द्वारा रश्मि श्रीवास्तव, (2000) लखनऊ शहर की किशोरियों के वृत्तिक अभिविन्यास तथा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन, पी–एच.डी. शोध प्रबन्ध शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- अग्रवाल, अर्चना (2001), स्टडी ऑफ नम्बर एनरॉलमेन्ट एण्ड ड्रॉप आउट अमंग गर्ल्स एट प्राइमरी लेवल, इण्डियन जनरल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम–20 पृ0सं0 19–24,

- अग्रवाल, एस.पी. (2001), वोमेन्स एजूकेशन इन इण्डिया, कॉन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी, नई दिल्ली।

- अग्रवाल,अनिल(2010),महिलासशक्तिकरण,परीक्षामंथन,भाग–4,इलाहाबाद।

- अग्रवाल, अनिल (2010), महिला आरक्षण, परीक्षामंथन, भाग–4, इलाहाबाद।

- मिश्रा, के. एन. (1995), वोमेन एजुकेशन एण्ड द उपनिषदक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, चुग पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

- कौल, लौकेश (1997), शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली ।

- कपिल, एच.के.(1999), अनुसंधान विधियॉ, एच0पी0 भार्गव बुक हाऊस, आगरा।

- कुमारी, सोनिका (2011), महिला उत्पीड़न सम्बन्धी समाचारों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गो के दृष्टिकोण का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- गुप्ता, एन.एल. (2000), वोमेन एजूकेशन, कॉन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी।

- गुप्ता, सुभाषचन्द्र 2004, कार्यशील महिलायें एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली. गुप्ता, एन.एल. (2000), वोमेन एजूकेशन, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।

- गुप्ता, डॉ एस.पी.,डॉ अल्का गुप्ता (2011), सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।

- गुप्ता, डॉ0 विनीता(2012), विवाहित कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका का परिवार तथा व्यवसाय पर प्रभाव, शिक्षाचिन्तन, अप्रैल 2011,अंक 42, त्रिमूर्ति संस्थान अपैल–जून,।

- तिवारी, डी सुपरवाइजर (1980), एट्टीट्यूड ऑफ द विलेजर्स टुवर्ड वूमेन, एजुकेशन : अप्रकाशित एम. एड. डिजर्टेशन, शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अय्यूब अली सिद्दीकी (2003), लखनऊ शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता के स्तर का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- देसाई, नीरा, (1957), वोमेन इन मॉर्डन इण्डिया, बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, मुम्बई, ।

- नायर, ऊषा (2000), एजूकेशन ऑफ गर्ल्स इन इण्डिया, एन0 सी0ई0आर0 टी0.नई दिल्ली ।

- नई कहानी, हिन्दुस्तान रीमिक्स, 07–04–2010।

- पाण्डेय, रामशकल (2005), शिक्षा की दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ.सं. 225।
- पाठक, इन्दू (2007), राजनैतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, अंक 5, अगस्त 2007, पृ0 26–30 ।
- पाठक, पी.डी. (2007), भारतीय शिक्षा और उनकी समस्यायें, विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा, पृ.सं.– 460–462।
- प्रियंका, (2008), माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की समस्याएं व उनका निराकरण–एक अध्ययन, अप्रकाशित एम.ए. शोध प्रबन्ध, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- प्रतापमल, देवपुरा (2008), 'महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व', कुरूक्षेत्र, अंक–5, मार्च।
- बाजपेयी, एल.बी., सारस्वत, मालती (1996), भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्यायें, आलोक प्रकाशन।
- बेस्ट, जे.डब्ल्यू. (2001), 'रिसर्च इन एजूकेशन, प्रिन्टस हॉल ऑफ इन्डिया प्रा. लि. नई दिल्ली।
- बाजपेयी, एल.बी. (2003), शिक्षा में नवाचार एवं तकनीकि, आलोक प्रकाशन।
- भरत, शालिनी (1994), परसेप्शन ऑफ इण्डियन वोमेनः ए कम्प्रेजन ऑफ कैरियर एण्ड नान कैरियर वोमेन, साइक्लॉजिकल एब्सटेक्ट, वाशिंग्टन, द अमेरिकन साइक्लॉजिकल एसोसियेशन,81,11 नबम्बर 1994 पृष्ठ 49–49 ।
- मिश्रा, डॉ0 आर0 एम0 (1996), शिक्षामनोविज्ञान में प्रयोग, परीक्षण, सांख्यिकी मापन, एवं मूल्यांकन, आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद।

- राजन, कुमद (1993), वोमेन एण्ड माडर्न आक्यूपेशन इन इण्डिया, चुग पब्लिकेशन, इलाहाबाद पृ0 305–319, उद्धृत रश्मि श्रीवास्तव, (2000) लखनऊ शहर की किशोरियों के वृत्तिक अभिविन्यास तथा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन, पी–एच.डी. शोध प्रबन्ध, शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- रावत, आरती (2008), केवल कन्याओं वाले परिवारों में असुरक्षा की भावना दूर करने में शिक्षा की भूमिका–एक अध्ययन, अप्रकाशित एम0एड0शोध प्रबन्ध, शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- रावल,डॉ0 मृदुला तथा डॉ0 सीता त्रिपाठी दीक्षित (2012), उच्चतर माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों में समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षाचिन्तन, वर्ष 11, अंक 42, त्रिमूर्ति संस्थान, अप्रैल. जून 2012।

- सुराणा, अजय (2000), 'राजस्थान के एक जिले में शैक्षिक विकास का एक पार्श्व चित्र 1981–2000 : एक अध्ययन' शोध प्रबन्ध, शिक्षाशास्त्र, वनस्थली विद्यापीठ।

- सिंह, अरुण कुमार (2006), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास।

- सिंह, रजनी रंजन (2007), सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की वास्तविकतायें, परिप्रेक्ष्य ।

- सिंह, डॉ0 मधुरिमा (2012), शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की जनसंख्या विस्फोट के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षाचिन्तन, वर्ष 11, अंक 42, त्रिमूर्ति संस्थान, अप्रैल. जून।

- हेनरी, ई. गैरेट (2007), शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकीय, कल्याणी पब्लिशर्स।

वेब सन्दर्भ सामग्री

- www.jagran.com/news/national-kanya-vidya-Dhan-2013-2014government-reduce-the-fund-amount40872826.html
- www.india.gov.in/govt/viewscheme.swayam sidha. indira mahila yojna 26-11-11
- www.surireporters.com/index.kanyadhanyojna,thuesday, 16/06/2011
- sadhana,vivrekarsunil, www.webdunia.com. international women's day.

Signature of Candidate with date.

Out Line of the Synopsis Approved

Signature of Supervisor with date